दिनांक 18.07.2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में राज्य के नगर निगम/नगर परिषद के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ हुई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति – उपस्थिति पंजी के अनुसार।

➢ **स्वच्छ भारत मिशन (SBM)** :- बैठक के दौरान सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों को SBM योजनान्तर्गत U.C. से संबंधित Checklist का वितरण किया गया ताकि Checklist में अंकित बिदुओं का मिलान कर संबंधित नगर निकायों के पदाधिकारियों द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षर किया जा सके। जिन नगर निकायों से U.C. सही formate में नहीं आया है, उनलोगों को सुधार कर दो दिनों के अन्दर विभाग में जमा करने का निदेश दिया गया। पूर्व की भांति इस बार भी निदेशित किया गया कि सर्वे में संशोधित लक्ष्य को सुधार कर शीध्र ऑनलाईन डाटाबेस में इन्ट्री कराये तथा प्रत्येक वार्ड में संशोधित लक्ष्य की सूचना विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाय। जिन घरों में शौचालय नहीं है, उन्हें लक्ष्य में शामिल किया जाना है। नरकटियागंज के कार्यपालक पदाधिकारी को अतिशीघ्र SBM योजनान्तर्गत ICICI Bank में खाता खोलने का निदेश दिया गया। बैठक में यह भी बताया गया कि दिनांक 17.07.2017 को मा० मुख्यमंत्री महोदय द्वारा Community Toilet के निर्माण हेतु विभाग द्वारा तैयार किये गये Model estimate को पुनः analysis करके लागत दर को कम करने का निदेश दिया गया है। इसके लिए श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यापालक अभियंता को प्राधिकृत किया गया। यह भी बताया गया कि Community Toilet के निर्माण हेतु यदि निविदा प्रकाशित नहीं हुई है तो उसे तत्काल स्थगित किया जाय। पुनरीक्षित Community Toilet के निर्माण में अब नगर निकाय को अपने मद से राशि के व्यय की आवश्यकता नहीं होगी। ODF का Target 02 अक्टूबर 2017 रखा गया है। निदेश दिया गया कि बुडको के दर पर नगर निकाय में कुड़ेदान का क्रय नहीं किया जाय, क्योंकि बुडकों द्वारा निर्धारित दर काफी अधिक प्रतीत होती है। अतः बाजार दर का सर्वे कराकर ही नियमानुसार कुड़ेदान का क्रय किया जाए।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

➢ **Solid Waste Management** :– अधिकांश नगर निकायों से DPR भेजा गया है, लेकिन DPR पूर्ण नहीं है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि मुजफ्फरपुर, नगर निगम में कार्य अच्छा चल रहा है, अतएव उनसे सम्पर्क कर कार्य कराया जाय। Door–to–Door कुड़ा संग्रहण का कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण किया जाय। Segregation at source शीघ्र आरंभ कराया जाय। कम लागत मूल्य पर मुजफ्फपुर, नगर निगम में CSE द्वारा कार्य आरंभ है। सुखा कचरा को कबाड़ी वाले को दें एवं गीला कचरा से Compost बनाने की कार्रवाई की जाय। इसके लिए Decenterlised Composit उत्तम है।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

➢ **DAY-NULM** :- बिहार कौशल विकास मिशन में सूचीबद्ध 49 प्रशिक्षण प्रदायी संस्थानों की सूची आ चुकी है। इन संस्थानों के साथ शीघ्र एकरारनामा करके कौशल प्रशिक्षण का कार्य कराया जाना है। सभी नगर निकायों को संस्थानों के साथ शीघ्र एकरारनामा करने का निदेश दिया गया। शेखपुरा एवं अरवल में आश्रय स्थल निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाय। हाजीपुर, सुपौल द्वारा बताया गया कि आश्रय स्थल का निर्माण कार्य आरंभ है, राशि की आवश्यकता है जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मॉग पत्र भेजा गया है। निदेश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ M.B. की छायाप्रति एवं बना हुआ Building का फोटो भेजा जाय। पुराने रैनबसेरों का जीणोद्धार हेतु प्रस्ताव दें, विभाग से राशि आवंटित की जायेगी। जिन रैन बसेरों में अवैध कब्जा है, उसे हटाने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया जाय। जहाँ किसी कारणवश कार्य नहीं हो पा रहा है वहाँ सकारण राशि लौटा दी जाय। उच्चतम न्यायालय के दिशा–निदेश के आलोक में फुटपाथ पर सोने वालों का सर्वेक्षण कराया जाना है। विभाग द्वारा इस संबंध में निदेश दिये गये है। सवेक्षण का कार्य शीघ्र पूर्ण करके प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

➢ **मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना** :– नगर परिषद, बाढ़ के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 27 वार्ड में 10 वार्ड का निविदा हुआ है, Agreement की प्रक्रिया में है। 17 वार्डों में कार्य PHED द्वारा कराया जाना है या नगर परिषद, बाढ़ द्वारा कराया जाना है, यह स्पष्ट नहीं है। संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी को स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। 44 लाख रूपये PHED को दिया गया है तथा इनके द्वारा पाईप बिछाया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी, बाढ़ को निदेश दिया गया कि वे PHED के साथ इस विषय पर एक बैठक कर मामले को wardwise Clarify करा लें तथा बैठक की कार्यवाही विभाग को भी दें। कार्यपालक पदाधिकारी, खगौल को निदेश किया गया कि 1331 कनेक्शन बाकी है, इसका पूर्ण रिपोर्ट नोडल पदाधिकारी, नल जल को दें। कार्यपालक पदाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा बताया गया कि कुल 26 वार्ड में से 23 वार्ड का निविदा आमंत्रित की गयी थी। 03 वार्डों का निविदा प्रकाशन हेतु आज भेजी गयी है। मसौढ़ी, नगर परिषद में कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। स्पष्ट प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। बताया गया कि मोकामा नगर परिषद में 28 वार्ड का टेन्डर हो चुका है, लेकिन डूडा द्वारा निविदा को निरस्त कर दिया गया है। निदेश दिया गया कि डूडा–2 से कारण पृच्छा की जाय। डूमरॉव में 26 वार्ड में काम शुरू है, परन्तु विभाग में प्राप्त प्रतिवेदन से मेल नहीं खाता है। नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि ऐसे मामलों में दूरभाष से सम्पर्क कर रिपोर्ट में आवश्यक सुधार किया जाय। भभुआ में कोई भी काम नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि शीघ्र सर्वे करा कर कार्य आरंभ किया जाय। वहॉ PHED का काम functional नहीं है। नियमानुसार Hand over & Take over करवाया जाय। नरकटियागंज में कुल 25 वार्ड में 2 वार्ड रेलवे का है तथा 5 वार्ड का योजना एवं निविदा बनकर तैयार है। शेष 18 वार्डों के लिए राशि नहीं मिली है। कुछ वार्डों में सरकारी जमीन पर कार्य किया जाना है। निदेश दिया गया कि सरकारी जमीन पर कार्य हेतु यदि अंचलाधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं तो संबंधित जिला पदाधिकारी से बात की जाय। निदेश दिया गया कि हर वार्ड में योजना को take up किया जाय, राशि की कोई कमी नहीं है। लक्खीसराय के 33 वार्डों में निविदा प्रकाशित हो चुकी है। निदेश दिया गया कि यदि आयरन, फलोराईड, आरसेनिक का issue है तो PHED से सम्पर्क कर इसे निविदा में डाला जाय। जमुई

में कार्य संतोषजनक नहीं है तथा कार्यपालक पदाधिकारी बैठक में नहीं आते हैं, उनसे कारण पृच्छा की जाय कि माननीय मुख्यमंत्री निश्चय योजना के कार्यान्वयन में विलंब हेतु क्यों नहीं उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाय। शेखपूरा द्वारा बताया गया कि पहाड़ी इलाका होने के कारण बोरिंग करने में कठिनाई है। निदेश दिया गया कि बोर्ड से स्थल परिवर्तन कराकर शहर से दूर बोरिंग करने की कार्रवाई की जा सकती है। बेनीपुर में 15 वार्ड का टेन्डर हुआ है। C.S. के लिए विभाग में आया है एवं यहाँ से BRJP को भेजा गया है। निदेश दिया गया कि मामले के निष्पादन हेतु BRJP को विभाग से Pending List भेजी जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

➢ **मुख्यमंत्री शहरी नली–गली पक्कीकरण योजना** :– बताया गया समस्तीपुर सहरसा, नरकटियागंज, बिहारशरीफ आदि स्थानों में टेन्डर की प्रक्रिया में है। इसमें काफी विलंब हो रहा है निदेश दिया गया कि शीघ्र कार्य आरंभ कराया जाय। मोकामा में कार्य शून्य है, निदेश दिया गया कि कार्य प्रारंभ करने हेतु कार्रवाई की जाय। बताया गया कि मसौढ़ी में 2 वार्ड में काम चल रहा है तथा शेष वार्ड की निविदा रद्द की गयी है फिर से निविदा प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है। जिन नगर निकायों में प्रथम चरण का टेन्डर प्रकाशित हो चुका हो/रि–टेन्डर हुआ हो/कार्य पूर्ण हो चुका हो, उन्हें निदेश दिया गया कि शीघ्र विभाग के प्रतिवेदन में अपने प्रतिवेदन के अनुरूप आवश्यक सुधार करवा लें। मुख्यमंत्री निश्चय योजना को गति प्रदान करने हेतु आवश्यकतानुसार विज्ञापन के माध्यम से सेवानिवृत्त अभियंताओं की सेवा लिये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

➢ <u>Housing for All</u> :- सबके लिए आवास योजना अन्तर्गत नगर परिषद खगौल की प्रगति शून्य है। निदेश दिया गया कि बोर्ड से बैठकर कर राशि के प्रत्यर्पन की कार्रवाई की जाय। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद, अरवल में 474 स्वीकृत आवासीय ईकाई में से मात्र 26 का कार्यादेश निर्गत है। नगर परिषद दानापुर के अन्तर्गत 177 स्वीकृत आवासीय ईकाई में से एक भी कार्यादेश निर्गत नहीं किये जाने के कारण प्रधान सचिव द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि ऐसे मामले में स्पष्टीकरण प्राप्त कर विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की जाय। नगर निगम पटना

में 413 स्वीकृत आवासीय ईकाई में एक भी कार्यादेश निर्गत नहीं किया गया है तथा मोबाईल निबंधन भी अभी नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि कार्य में प्रगति लायें तथा यदि अंचलाधिकारी द्वारा L.P.C निर्गत नहीं किया जा रहा है तो जिला पदाधिकारी से मिलकर समस्या का निदान करावें। सिवान के कार्यापालक पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हैं। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सिवान मोबाईल निबंधित अभी तक नहीं हुआ है। सिवान के कार्यपालक पदाधिकारी से कारण पृच्छा किये जाने का निदेश दिया गया। कार्यापालक पदाधिकारी सासाराम को कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। कुछ नगर निकायों द्वारा जानकारी दी गयी कि unsurveyed Land होने/ एल०पी०सी० नहीं मिलने/मालगुजारी रसीद नहीं होने/अनुदानित जमीन होने के कारण HFA का प्रगति धीमा है। निदेश दिया गया कि अंचलाधिकारी से बात कर बन्दोवस्ती का कागज निर्गत करवाया जाय। कागजात मिलने में यदि विलंब हो रहा है तो लोक शिकायत निवारण के समक्ष लाभुकों द्वारा परिवाद दायर कराया जा सकता है। एल०पी०सी० नहीं मिलने की स्थिति में विकल्प के रूप में मालगुजारी, वंशावली तथा शपथपत्र पर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन हेतु संचिका के माध्यम से भेजने का निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि कागजात पूर्ण होने पर ही अभिलेख खोला जाय, योजना के कार्य में प्रगति लायी जाय तथा विहित प्रपत्र में दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय। सबके लिए आवास (शहरी) योजनान्तर्गत BLC घटक में स्वीकृत लाभूकों का निर्माण प्रारंभ करने के संबंध में एक दिशानिदेश विभागीय पत्रांक 1692 दिनांक 14.07.2017 द्वारा निर्गत किया गया है। जिसमें निदेश दिया गया है कि अभियान चलाकर स्वीकृत लाभूकों का 30 जूलाई, 2017 तक निर्माण कार्य निश्चित रूप से प्रारंभ करा दिया जाय। यदि किसी कारणवश किसी आवासी इकाई में कार्य प्रारंभ कर पाना संभव नहीं हो तो इसे प्रत्यर्पित करने हेतु प्रस्ताव विहित प्रपत्र में बोर्ड से अनुमोदन कराकर 15 अगस्त 2017 तक हर हाल में उपलब्ध करा दिया जाय। निश्चित तिथि तक अनुपालन प्राप्त नहीं होने पर गंभीरता से लिया जायेगा।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

➢ IHSDP :- इस योजनान्तर्गत आधारभूत संरचना मद का कार्य जो निर्माणाधीन है उसे शीघ्र पूर्ण कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया तथा जिन योजना में कार्य प्रारंभ नहीं हो सका तथा जिन योजना में दिनांक 31.03.2017 से पूर्व कार्यादेश नहीं दिया जा सका उसे प्रत्यर्पित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

➢ **लोक लेखाः–** वित्तीय वर्ष 2000–2001 का लोक लेखा समिति को भेजे जाने वाला कंडिका 6.9.2 से 6.9.5 तक का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित संबंधित नगर निकायों से विभागीय पत्रांक 52 दिनांक 20/02/2017 द्वारा माँगी गई थी, परन्तु अनुपालन प्रतिवेदन(साक्ष्य सहित) अभी तक अप्राप्त है। कुछ नगर निकायों का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त तो हुआ है लेकिन प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण होने के कारण विभाग द्वारा उसे वापस सुधारने हेतु भेज दिया गया है। निदेश दिया गया है कि एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन(साक्ष्य सहित) विभाग में समर्पित करें। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2010–11 की कंडिका 3.4 के अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में फारबिसगंज एवं बेगुसराय द्वारा बताया गया कि अनुपालन प्रतिवेदन लायें हैं। निदेश दिया गया कि आज ही प्राप्त करायें। नगर परिषद बेतिया के कार्यपालक पदाधिकारी बैठक में नहीं आए हैं इनके प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि कल प्रतिवेदन दे देंगे। वित्तीय वर्ष 2007–2008 का लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की सभी कंडिका अभी भी लंबित है। संबंधित नगर निकाय को अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, उपकर का आरोपण मद में 17 नगर निकायों के पास कुल 4 करोड़ 42 लाख की राशि के संबंध में लोक लेखा समिति की कंडिका 5.7.2 का अनुपालन प्रतिवेदन(साक्ष्य सहित) शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2014–15 का लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की कंडिका 4.1 से 4.8 तक तथा 5.1 के अनुपालन हेतु पूर्व में भी बैठक हुई थी, बैठक में दिये गये निदेश के बावजूद प्रतिवेदन विभाग को अप्राप्त है। चूँकि यह कंडिका सभी नगर निकायों से संबंधित है, अतएव निदेश दिया गया कि साक्ष्य सहित अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय, ताकि समीक्षोपरान्त लोक लेखा समिति/महालेखाकार/वित्त विभाग को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित विभाग को उपलब्ध कराया जाय, ताकि समीक्षोपरान्त लोक लेखा समिति/महालेखाकार/वित्त विभाग को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

➢ **AC/DC** - जिन नगर परिषद का चालान में T.R. Number नहीं रहने के कारण महालेखाकर द्वारा चालान वापस कर दिया गया है, वैसे ULB को T.R. Number अंकित करा कर विभाग को वापस करने का निदेश बैठक में दिया गया। कुछ कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अनुपालन कर दिया गया है। प्रशाखा इसे समेकित करें और समायोजन सुनिश्चित कराए।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशखा–7)

➢ **विधायी मामले** :– बिहार विधान मंडल द्वारा निवेदन समित, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, पुस्तकालय समिति की लागातार समीक्षा हो रही है। विधायी मामले विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है। शीघ्र अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

➢ **अंकेक्षण प्रतिवेदन** :– मामले की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा अंकेक्षण से संबंधित लंबित मामले को मौखिक रूप से नोट करा दिया गया एवं इसकी छायाप्रति भी बैठक में उपलब्ध करायी गयी है। निदेश दिया गया कि लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

➢ Double Entry Accounting system :– मुख्यमंत्री निश्चय योजना के अन्तर्गत कराये गये सर्वेक्षण में दिये गये परिवारों की संख्या से होल्डिंग टैक्स देनेवाले परिवारों की संख्या का मिलान कराकर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। Double Entry Accounting system में Fixed Assets Register जो तैयार किया गया है, उसका अनुमोदन Board से कराया जाय तथा जहॉ होल्डिंग टैक्स का रजिस्टर उपलब्ध नहीं है वहॉ शीघ्र ही रजिस्टर तैयार कर ली जाय। कुछ नगर निकाय द्वारा कर्मी की कमी के बारे में बताया गया। उन्हें जानकारी दी गयी की इस संबंध में पदवर्ग समिति के अनुशंसा के आलोक में अग्रेत्तर कारवाई की जा रही है। विभाग द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि ऐसा देखा जा रहा है कि टैक्स वसूलने के उपरांत कर संग्राहक उक्त राशि को अपने पास काफी दिनों तक रखते हैं तथा राशि को सीधे बैंकों में जमा कर देते हैं जबकि कर संग्राहक को राशि को पहले नजारत में जमा करना है। अतः निदेश दिया गया कि टैक्स वसुलने के उपरांत राशि प्रत्येक सप्ताह पहले नजारत में जमा करायें तथा उसके बाद बैंक में भेजें ताकि भविष्य में यह दुर्विनियोग का मामला न बनें।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

➢ **सम्राट अशोक भवन** :– सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु सभी निकायों को राशि उपलब्ध करायी गयी है। जिन निकायों में जमीन चिन्हित कर लिया गया है, वहॉ शीघ्र ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय। यदि जमीन उपलब्ध है तो टेन्डर की प्रक्रिया आरंभ कर कार्यादेश निर्गत करने की कार्रवाई की जाय। जिन निकायों में सम्राट भवन का निमार्ण कार्य आरंभ है और राशि की कमी है वे उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ मॉग–पत्र विभाग को भेजे, ताकि राशि आवंटित की जा सके। यदि जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आवंटित राशि को वापस किया जाय। विभाग में CS, TS अथवा BOQ के लिए आए प्रस्तावों का शीघ्र निष्पादन किया जाय। कटिहार द्वारा बताया गया कि दो बार टेन्डर हुआ लेकिन टेन्डर एक भी नहीं डाला गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि टेन्डर में अंकित दर में परिवर्तन करवायें।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

➢ **प्रशासनिक भवन** :– सहरसा, बगहा, सीवान, डूमरॉव, मोतिहारी, हिलसा, मधेपूरा, रक्सौल, सीतामढ़ी, एवं खगौल जैसे नगर निकाय जहॉ प्रशासनिक भवन के निर्माण कार्य आरंभ है, वहॉ निर्माण कार्य में तेजी लायी जाय। यदि प्रशासनिक भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पाता है तो राशि वापस कर दी जाय। **(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)**

➢ **Goods & Service Tax (GST)** :– बैठक के दौरान उपस्थित कार्यपालक पदाधिकारी/प्रतिनिधियों के समक्ष Presentation के माध्यम से वाणिज्यकर विभाग के Joint Commissioner श्री अशोक कुमार झा द्वारा GST के बारे में विस्तार की चर्चा की गयी। कुछ नगर निकायों द्वारा उनके लेखापाल/कैशियर के समक्ष एक बार फिर GST के संबंध में Presentation हेतु अनुरोध किया गया। निदेश दिया गया कि GST पर लेखापालों एवं कैशियर के लिए एक अलग कार्यशाला आयोजित कराया जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशाखा–7)

➢ वैसे निकाय जहॉ के कार्यपालक पदाधिकारी/प्रतिनिधि समीक्षा बैठक में अनुपस्थित हैं उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाय।

(अनुपालन– निदेशक, नगरपालिका प्रशासन)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

28/7/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– न.वि. एवं आवास विभाग/ पटना, दिनांक
प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

28/7/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,

ज्ञापांक–5039 न.वि. एवं आवास विभाग/ पटना, दिनांक 31.7.17

प्रतिलिपि– नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद, बिहार को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/7/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,

ज्ञापांक-5039 न.वि. एवं आवास विभाग/ पटना, दिनांक 31.7.17

प्रतिलिपि– सभी विभागीय पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/अभियंत्रण कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/7/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,